न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 53/2021
श्रीमती गायत्री पुत्री स्व0 श्री शुभकरण पत्नि नटवरलाल जोशी, जाति ब्राहम्ण, निवासी मण्डावा हाल निवासी नवलगढ़ रोड़ लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. केदारनाथ पुत्र स्व0 शुभकरण, जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावा, हाल निवासी 20 पीलखाना द्वितीय लेन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
2. प्रदीप कुमार जोशी पुत्र स्व0 शिव कुमार, जाति ब्राह्मण, निवासी मण्डावा हाल निवासी 89/100 पण्डित ईशान चन्द रोड, हुगली रीसडा (पश्चिम बंगाल)।
3. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि स्व0 शिव कुमार, जाति ब्राह्मण, निवासी मण्डावा हाल निवासी 89/100 पण्डित ईशान चन्द रोड, हुगली रीसडा (पश्चिम बंगाल)।
4. कौशल्या पुत्री स्व0 शिव कुमार, जाति ब्राह्मण, निवासी मण्डावा हाल निवासी 89/100 पण्डित ईशान चन्द रोड, हुगली रीसडा (पश्चिम बंगाल)।
5. रेखा पुत्री स्व0 शिव कुमार, जाति ब्राह्मण, निवासी मण्डावा हाल निवासी 89/100 पण्डित ईशान चन्द रोड, हुगली रीसडा (पश्चिम बंगाल)।
6. गीता पुत्री स्व0 शुभकरण स्त्री नरसिंह प्रसाद मिश्रा, जाति ब्राह्मण, निवासी झगड़ा मस्जिद के पास, शेखावाटी रामगढ, जिला सीकर।
7. किशोर (पुत्र तारामणी पुत्री शुभकरण) पुत्र मनोहरलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी द्वितीय फ्लोर, 25 कोलेज स्ट्रीट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)–700073
8. चन्दा (पुत्री तारामणी पुत्री शुभकरण) पुत्री मनोहरलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी द्वितीय फ्लोर, 25 कोलेज स्ट्रीट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)–700073
9. मुनिया पुत्री स्व. शुभकरण स्त्री श्री निरंजनलाल लाटा, जाति ब्राह्मण, निवासी लाटा हाउस, नियर सी–935, रविन्द्र नगर, कुर्ला कैम्प, लैण्ड मार्क, मीना सोंडे बंगला, उल्हासनगर–5 थाने (महाराष्ट्र) – 421005
10. सुशीला पुत्री स्व0 शुभकरण स्त्री रामकरण मिश्रा, जाति ब्राह्मण, निवासी झगडा मस्जिद के पास, रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर।
11. तहसीलदार महोदय, झुंझुनूं, तहसील कार्यालय झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:41 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 85 दिनांकित 07.0[illegible]04 तहसीलदार झुंझुनूं।

उपस्थितः–

1. श्री जहीर मोहम्मद फारूकी, श्री अमरपाल भीमसरिया, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री सुशील कुमार जोशी, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1, 2, 3 व 10 की ओर से।
3. श्री दिलसाद फारूकी, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 9 की ओर से उपस्थित नही।
4. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– राज्य सरकार (रेस्पो0 सं0 11) की ओर से।
5. रेस्पोडेन्ट्स सं0 4, 6, 7, 8 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 18.05.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 07.07.2004 भूमि ग्राम ढाणी जोशियान के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न प्रकार पेश है कि ग्राम ढाणी जोशियान पटवार हल्का वाहिदपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डावा तहसील झुंझुनूं के तहत हाल ख0न0 131 रकबा 2.3600 हैक्टर, ख0न0 132 रकबा 2.2300 हैक्टर, ख0न0 133 रकबा 1.5000 हैक्टर, ख0न0 134 रकबा 2.3100 हैक्टर ख0न0 135 रकबा 1.2100 हैक्टर, ख0न0 136 रकबा 0.8800 हैक्टर, ख0न0 137 रकबा 0.8800 हैक्टर, ख0न0 138 रकबा 0.1200 हैक्टर, ख0न0 69 रकबा 1.5300 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 13.0200 हैक्टर की भूमि स्थित है जिनका पूर्व खातेदार काश्तकार अपीलान्ट का दादा महादेवजी जोशी थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है उक्त महादेवजी के पांच पुत्र क्रमशः सांवरमल, शुभकरण, बजरंगलाल, बद्री प्रसाद, एवं प्यारेलाल हुये। महादेवजी के उक्त पांचो पुत्रों का भी देहान्त हो चुका है अपीलान्ट प्रार्थीया महादेव के पुत्र शुभकरण की जायन्दा पुत्री एवं उत्तराधिकारी वारिस है। अपीलान्ट के शिवकुमार एवं केदारनाथ रेस्पोडेन्ट नं0 1 दो भाई हुये तथा गीता रेस्पोडेन्ट नं0 6, मुनिया रेस्पोडेन्ट नं0 9 एवं सुशीला रेस्पोडेन्ट नं0 10 बहिने हुई जो भी स्व0 शुभकरण के जायज वारिसान है अपीलान्ट के भाई शिवकुमार का देहान्त हो चुका है उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट सं0 2, 3, 4, 5 है अपीलान्ट की बहन तारामणी का भी देहान्त हो चुका है उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 है। अपीलान्ट के पिता स्व0 शुभकरण के देहान्त के पश्चात उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल उनके सभी वारिसान यानि दो पुत्र एवं पांच पुत्रियों के नाम कानूनन दर्ज होना चाहिए था क्योकि स्व0 शुभकरण के उक्त वारिसान उस समय जीवित थे एवं शुभकरण के जीवनकाल से ही शुभकरण के साथ उक्त कृषि भूमि को काश्त करते रहे है एवं काबिज है किन्तु प्रार्थीया अपीलान्ट के भाईयो शिवकुमार एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 केदारनाथ ने राजस्व कर्मचारियो से सांठगांठ करके गलत एवं गैरकानूनी तरीके से केवल अपने दोनो भाईयो के नाम उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल दर्ज करवा लिया एवं शुभकरण की पुत्रियों के नाम जानबुझकर उनका हक हिस्से की भूमि को नाजायज तरीके से हडपने के ईरादे से इन्तकाल में दर्ज नही करवाये इस कारण उनके नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही हो सके जबकि अपीलान्ट सहित उसकी शेष बहिनों ने इन्तकाल में उनके नाम दर्ज नही करने की सहमति नही दी थी एवं उक्त सभी इन्तकाल में अपना नाम दर्ज करवाना चाहती थी किन्तु केदारनाथ एवं शिवकुमार ने इन्तकाल संख्या 85 दिनांक 07.07.2004 को गैर कानूनी तरीके से अपने नाम दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट के भाई केदारनाथ एवं शिवकुमार अपीलान्ट को झुठे तौर पर यह आश्वासन देते रहे की उसका नाम भी इन्तकाल में दर्ज हो चुका है क्योकि अपीलान्ट को अपने भाईयो पर विश्वास था। अपीलान्ट ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था। उक्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट सहित स्व0 शुभकरण के सभी वारिसान का कब्जा काश्त है अपीलान्ट भी अपने भाईयो के साथ उक्त कृषि भूमि को सम्मिलित तौर पर काश्त करवाती है एवं लाटती बांटती है। अपीलान्ट ने अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने के लिए के0सी0सी0 खाता बैक में खुलवाने के लिए बैंक में गई तो बैंक वालों ने राजस्व रिकार्ड की नकल लाने हेतु कहा जिस पर अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि में से इन्तकाल संख्या 85 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 18.03.2021 को प्राप्त की तो पता चला कि उक्त इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम दर्ज नही है केवल अपीलान्ट के भाईयो शिवकुमार एवं केदारनाथ के नाम ही दर्ज है इसके पहले राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज नही होने की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। इस पर अपीलान्ट ने केदारनाथ से एवं शिवकुमार के वारिसान से इस बाबत बातचीत की तो उन्होने कहा कि लोक डाउन के कारण तहसील में काम नही हो रहा है लोक डाउन समाप्त होने पर तुम्हारा नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया जावेगा अब जबकि लोक डाउन में छूट देने पर तहसील कार्यालय में कार्य प्रारम्भ हुआ तो दिनांक 14.07.2021 को अपीलान्ट ने केदारनाथ को एवं शिवकुमार के वारिसान को कहा कि तहसील में काम प्रारम्भ हो गया है जब तहसील में चलकर अपीलान्ट का नाम उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे जिस पर उन्होने राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया एवं अपीलान्ट ने तहसील में जाकर भी अपना नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की किन्तु तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:41 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय ने भी अपीलान्ट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने से इन्कार कर दिया इस कारण अपीलान्ट को यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। अपील के लिए कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 18.03.2021 को नामान्तरकरण संख्या 85 की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने पर अपीलान्ट का नाम इन्तकाल में दर्ज नही होने की जानकारी होने पर एवं दिनांक 14.07.2021 को केदारनाथ द्वारा एवं शिवकुमार के वादीगण द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज करवा देने से इन्कार करने पर पैदा हुआ। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 07.07.2004 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा प्रार्थीया अपीलान्ट का नाम भी उक्त खसरा नम्बर की भूमि के राजस्व रिकार्ड के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम ढाणी जोशियान पटवार हल्का वाहिदपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डावा तहसील झुंझुनूं के तहत हाल ख0न0 131 रकबा 2.3600 हैक्टर, ख0न0 132 रकबा 2.2300 हैक्टर, ख0न0 133 रकबा 1.5000 हैक्टर, ख0न0 134 रकबा 2.3100 हैक्टर ख0न0 135 रकबा 1.2100 हैक्टर, ख0न0 136 रकबा 0.8800 हैक्टर, ख0न0 137 रकबा 0.8800 हैक्टर, ख0न0 138 रकबा 0.1200 हैक्टर, ख0न0 69 रकबा 1.5300 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 13.0200 हैक्टर की भूमि स्थित है जिनका पूर्व खातेदार काश्तकार अपीलान्ट का दादा महादेवजी जोशी थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है उक्त महादेवजी के पांच पुत्र क्रमशः सांवरमल, शुभकरण, बजरंगलाल, बद्री प्रसाद, एवं प्यारेलाल हुये। महादेवजी के उक्त पांचो पुत्रों का भी देहान्त हो चुका है अपीलान्ट प्रार्थीया महादेव के पुत्र शुभकरण की जायन्दा पुत्री एवं उत्तराधिकारी वारिस है। अपीलान्ट के शिवकुमार एवं केदारनाथ रेस्पोडेन्ट नं0 1 दो भाई हुये तथा गीता रेस्पोडेन्ट नं0 6, मुनिया रेस्पोडेन्ट नं0 9 एवं सुशीला रेस्पोडेन्ट नं0 10 बहिने हुई जो भी स्व0 शुभकरण के जायज वारिसान है अपीलान्ट के भाई शिवकुमार का देहान्त हो चुका है उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट सं0 2, 3, 4, 5 है अपीलान्ट की बहन तारामणी का भी देहान्त हो चुका है उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 है। अपीलान्ट के पिता स्व0 शुभकरण के देहान्त के पश्चात उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल उनके सभी वारिसान यानि दो पुत्र एवं पांच पुत्रियों के नाम कानूनन दर्ज होना चाहिए था क्योकि स्व0 शुभकरण के उक्त वारिसान उस समय जीवित थे एवं शुभकरण के जीवनकाल से ही शुभकरण के साथ उक्त कृषि भूमि को काश्त करते रहे है एवं काबिज है किन्तु प्रार्थीया अपीलान्ट के भाईयो शिवकुमार एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 केदारनाथ ने राजस्व कर्मचारियो से सांठगांठ करके गलत एवं गैरकानूनी तरीके से केवल अपने दोनो भाईयो के नाम उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल दर्ज करवा लिया एवं शुभकरण की पुत्रियों के नाम जानबुझकर उनका हक हिस्से की भूमि को नाजायज तरीके से हडपने के ईरादे से इन्तकाल में दर्ज नही करवाये। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्ट अपना हिस्सा कभी भी ले सकता है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 07.07.2004 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा प्रार्थीया अपीलान्ट का नाम भी उक्त खसरा नम्बर की भूमि के राजस्व रिकार्ड के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें ।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1, 2, 3 व 10 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट का विवादित भूमि के [illegible] ना ही रिकार्ड अपीलान्ट के नाम रहा है। शुभकरण की मृत्यु के 7 साल बाद यह नाम[illegible]रा गया है। बैंक ऋण आवेदन की आड मे नामान्तरकरण की अब जानकारी [illegible]ल अन्दर मियाद नही है। रेस्पोडेन्ट्स रिकार्डेड काश्तकार है। अपीलान्ट पहले अपने [illegible]के वारिसान व हक–हिस्से को तय करवाये उसके बाद ही नामान्तरकरण के लिए अपील कर सकती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:41 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। इन्तकाल भरते समय रिपोर्ट मे भी साफ अंकन है कि स्व0 शुभकरण के कोई पुत्रियां नही है। ऐसी स्थिति मे पुत्रों के नाम ही नामान्तरकरण भरा जाना था। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 9 बावजूद सूचना व रेस्पोडेन्ट्स सं0 4, 6, 7, 8 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही। अतः रेस्पोडेन्ट्स सं0 4, 6, 7, 8, 9 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का यह कथन उचित है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्ट अपना हिस्सा कभी भी ले सकता है। अपीलान्ट गायत्री स्व0 शुभकरण की जाईन्दा पुत्री है जिसके साक्ष्य के लिए वकील अपीलान्ट ने पेनकार्ड की प्रति पेश की जिसमे अपीलान्ट गायत्री की वल्दियत दर्ज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 07.07.2004 को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से सुना जाना आवश्यक नही है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:41 IST
Reason: SelfAttested